<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>27/7/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आँचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अखिलेश मिश्रा और नेहा त्रिपाठी की बैंक बैलेंस, गोल्ड बॉन्ड, बीमा पॉलिसियों आदि के रूप में 84.04 लाख रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सोमानी सिरेमिक्स लिमिटेड के बैंक खाते से 15,85 करोड़ रुपये (लगभग) के गबन के लिए अखिलेश कुमार मिश्रा और नेहा त्रिपाठी पत्नी अखिलेश कुमार मिश्रा के खिलाफ गुजरात पुलिस के सोला उच्च न्यायालय पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच में पता चला है कि अखिलेश मिश्रा ने सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड के डिप्टी मैनेजर की हैसियत से अपनी पत्नी नेहा त्रिपाठी [मिश्रा] के मिलीभगत, सांठगांठ और सहयोग से एक आपराधिक साजिश रची और इस तरह सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड के विदेशी विक्रेताओं को आयात भुगतान करने की आड़ में अपनी पत्नी के व्यक्तिगत बैंक खातों/उनके संयुक्त बैंक खाते में नेट बैंकिंग लेनदेन करके सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड से उक्त राशि का गबन किया।

इस मामले में इससे पहले ईडी ने अखिलेश मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर नवी मुंबई में एक फ्लैट, सावधि जमा (एफडी) और बैंक बैलेंस आदि के रूप में लगभग 63.82 लाख रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी। अस्थायी कुर्की का कुल मूल्य लगभग 1.47 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड और अखिलेश मिश्रा के बीच 7 करोड़ रुपये की राशि पर समझौता हुआ है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।